

आदेश

श्री नवाबदीन भाटी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.), कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ को दिनांक 09.10.2018 से 24.10.2018 तक हज यात्रा पर भ्रमण हेतु स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगे तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात् ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. राष्ट्र विरोधी गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे।

ह

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

दिनांक : 11/10/18

क्रमांक:एफ. 750 सीसी/स्वा.का.पु./2018/2440

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।
4. श्री नवाबदीन भाटी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.) को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश के विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश/सक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर